

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी ए.एच. गौरी, आर.ए.एस.



अपील संख्या 46/2019 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2019/00048)

पवनकुमार पुत्र बंशीधर जाति जाट सेवादा निवासी रतनगढ जिला  
चूरु, राजस्थान ।

अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज ।

रेस्पोंडेंट

उपस्थित:

1. श्री नरेन्द्र गौड़ — अभिभाषक अपीलान्त  
2. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक: 29.03.2023

1. यह अपील भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर चूरु के निर्णय दिनांक 29.05.2017 के विरुद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार रतनगढ के समक्ष हल्का पटवारी लूछ ने दिनांक 19.10.2016 को अपीलान्त के विरुद्ध रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि खसरा नं. 331/223 तादादी 04 बीधा को कृषि भूमि से गैर कृषि उपयोग में ले रहा है। जिस पर तहसीलदार रतनगढ ने धारा 90 क एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्त को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार रतनगढ ने अपने निर्णय दिनांक 19.01.2017 के द्वारा अपीलान्त के मुनिम को नोटिस की तामिल करवाना मानते हुए अपीलान्त के विरुद्ध एकतरफा तौर पर कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लेना मानकर धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया जावे का आदेश पारित किया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलान्त ने प्रथम अपील जिला कलक्टर चूरु मे पेश कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया। जिस पर जिला कलक्टर चूरु द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.05.2017 द्वारा तहसीलदार रतनगढ का आदेश दिनांक 19.01.2017 अपीलान्त के हितो के विरुद्ध कोई

॥  
अति.संभागीय आयुक्त  
बीकानेर



प्रतिकूल असर नहीं डाल रहा एवं न ही यह किसी आदेश परिभाषा में आता है का मानकर अपीलान्त की अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलान्त द्वारा यह द्वितीय अपील भू-प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, चूरु में प्रस्तुत कर उक्त दोनो आदेशो को निरस्त कर अपील स्वीकर फरमायी जाने का निवेदन किया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण भू-प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, चूरु द्वारा यह अपील इस न्यायालय को स्थानान्तरित की गई।

3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, अपीलान्त के निमित्त नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांत के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर चूरु कानून के खिलाफ एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण एवं तहसीलदार रतनगढ़ द्वारा पारित आदेश एकतरफा तौर पर अपीलान्त को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। तहसीलदार रतनगढ़ द्वारा अपने ओडरशीट दिनांक 25.10.2016 में मुझ अपीलान्त को नोटिस अपर्याप्त मानते हुए पुनः नोटिस जारी करने का आदेश दिया था, हालांकि मुझ प्रार्थी के कोई मुनीम नहीं है, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। तहसीलदार रतनगढ़ द्वारा दिनांक 17.11.2016 को तामिल कुनिन्दा ने अप्रार्थी को बाहर जाना अंकित किया है, फिर दिनांक 28.11.2016 को नोटिस पुनः जारी करने का आदेश दिया। दिनांक 19.01.2017 को अपीलान्त के मुनीम को नोटिस की तामिल करवाना मानते हुए अपीलान्त के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही कर कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लेना मानकर धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी महोदय को प्रेषित किया जावे का आदेश पारित कर दिया। तहसीलदार रतनगढ़ के आदेश के विरुद्ध अपीलान्त ने जिला कलक्टर चूरु में अपील पेश उक्त आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया। जिला कलक्टर चूरु ने अपने निर्णय दिनांक 29.05.2017 में यह लिखा कि

11  
अति.सहायक आयुक्त  
बीकानेर

तहसीलदार रतनगढ ने जो आदेश पारित किया है व अपीलान्ट के हितों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल असर नहीं डाल रहा है और ना ही यह किसी आदेश की परिभाषा में आता है। इसलिए इसके विरुद्ध अपील दायर नहीं की जा सकती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं स्वीकार किया है कि तहसीलदार रतनगढ ने जो आदेश पारित किया है वो किसी आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। फिर भी तहसीलदार के आदेश को निरस्त नहीं किया। यदि तहसीलदार रतनगढ द्वारा पारित आदेश किसी कानूनी आदेश की परिभाषा में नहीं आता है तो मुझ अपीलान्ट के खिलाफ जो धारा 177 की कार्यवाही पेश की गई है उसको समाप्त करने का भी आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित करना चाहिए था लेकिन ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर जिला कलक्टर चूरु का निर्णय दिनांक 29.05.2017 एवं तहसीलदार रतनगढ का आदेश दिनांक 19.01.2017 निरस्त किया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।
6. हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रतनगढ के द्वारा ग्राम देराजसर के खं. नं. 331 की खातेदारी भूमि में बिना रूपान्तरण करवाये व्यवसायिक उपयोग करने के आधार पर धारा 90 क राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अपने निर्णय दिनांक 19.01.2017 को धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के आदेश के साथ उक्त कार्यवाही को समाप्त किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में पटवारी हल्का के बयान मौका रिपोर्ट एवं अपीलार्थी के सुनवाई का समूचित अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, प्रथम अपील में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर गौर नहीं किया गया है। लिहाजा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर

11  
अति.समाग्रीय आयुक्त  
बोकारनेर



चूरी के निर्णय दिनांक 29.05.2017 तथा तहसीलदार रतनगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.2017 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार रतनगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर, मौका निरीक्षण कर पुनः निर्णय पारित करे।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)  
अति.संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर